प्ररूप संख्या 8

[1][नियम 15क देखें]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 158क(1) के अधीन ऐसे निर्धारण द्वारा, जो दावा कर रहा है कि विधि का समान प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, की जाने वाली धोषणा

में .... जो श्री .... का पुत्र/पुत्री/पत्नी हुँ... की हैसियत में घोषणा करता/करती हूँ कि-

1. **मेरे मामलें में/........................के मामलें में

   **धारा 256/257 के अपील निर्देश पर **उच्च न्यालय/ उच्चतम न्यालय

   ____के समक्ष विधि **का (के) निम्नलिखित प्रश्न लंबित हे/है

   निर्धारण वर्ष........................की बाक्त धारा 261 के अपील की गई अपील पर उच्चतम न्यालय **उच्च न्यालय/ उच्चतम न्यालय की निर्विष्ट मामले तथा विधि के प्रश्न (प्रश्नो) के विवरण की प्रति संलग्न है।

   उच्च न्यालय के निर्णय की एक प्रति और उच्चतम न्याालय को की गई अपील का/के अधार संलग्न हे/है।

2. विधि का (के) उक्त प्रश्न ***..के समक्ष लंबित **मेरे मामले/.......... के मामले में निर्धारण वर्ष..की बाबत उदभूत होने वाले प्रश्न (प्रश्नो) के समान हे/है।

3. यदि **.. उपर पैरा 1 में विशिष्ट मामले मे विधि के प्रश्न के अंतिम निर्णय को उपर पेरा 2 में विशिषट मामलें पर लागु करनें की सहमति देतें है तों **मे निदिष्ट मामले मे विधि के प्रश्न के अंतिम निर्णय को उपर पैरा 2 विशिषट मामले में विधि के प्रश्न (प्रश्नो) को किसी अपील अधिकारी के समक्ष किसी अपील में या धारा 256 के अपील उच्च न्यालय में या धारा 257 के अपील उच्चतम न्यालय में किसी निर्देश में या धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यालय के समक्ष किसी अपील में नही उठाऊगा/उठायागा ।

....

घोषनाकर्ता के हस्ताक्षर

....

स्थायी खाता सं

....

निर्धारिती का पता

सत्यापन

में .... यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर किय गए कथन मेरी सर्वोतम अधिकारी और विश्वास के अनुसार ठीक पूर्ण और सत्य रूप से किए गए है।

मै यह और घोषणा करता हुं कि में यह घोषणा....................... की हैसियत से कर रहाॅ हुं और यह घोषणा करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ ।

आज तारिख................20................ को सत्यापित किया गया ।

स्थान.............

....

शोधकर्ता के हंस्ताक्षर

टिप्पण:

1. यह घोषणा जब उपायुक्त (अपील) को प्रस्तुत की जाए तो दो प्रतियों में और जब उसे अपील अधिकरण को प्रस्तुत किया जाए तो तीन प्रतियों में होनी चाहिए ।
2. *उस हेसियत का उल्लेख करें जिसमें घोषणा की गई है ˙
3. **जो लागू न हो उसे काट दें ।
4. ***उस अधिकारी या प्रधिकरण का पहचान लिखे, जिसे या जिसको घोषणा प्रस्तुत की जाती है।
5. डाक का पुरा पता दें । जहां निधारिती घोषणाकर्ता नही है, वहॉ निर्धारिती का भी डाक का पुरा पता दें।

---

1. आय-कर (बाईसंवा संशोधन) नियम 2022 द्वारा **12.7.2022** से ‘‘[नियम 16 देखें]’’ शब्दो और अंको के स्थान पर प्रतिस्थापित।